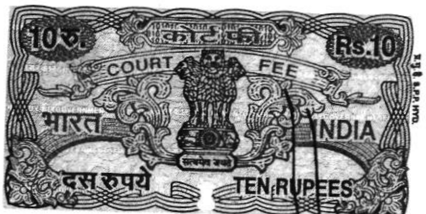

C.F. 10/—
D/F. 5/—

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरा क्रमांक / 2014 रिवीजन R-1545-PBR/14

धर्मेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री मोहर सिंह यादव आयु 45 साल व्यवसाय वकालत निवासी बालाजी विहार पागन वी.सी. स्कूल के पीछे कम्पू लश्कर ग्वालियर

.... आवेदक

Presentation by Vinod Srivastava Adv.
20-5-2014

बनाम

श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री रामनाथ निवासी बालाजी विहार कालोनी गुढा जिला ग्वालियर

/2014/14

.......अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार वृत्त 5 गिरवाई ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/2013– 14 / अ– 70 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06.05.2014 के विरूद्व म.प्र. राजस्व संहिता की धारा 50 (1)के अधीन निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

रामबिहारी गुप्ता ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1545–पीबीआर/14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2014	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 6–5–14 का अवलोकन किया गया । तहसीलदार, वृत 5 गिरवाई, ग्वालियर द्वारा आदेशिका दिनांक 6–5–14 में केवल यह उल्लेख किया गया है कि प्रकरण पेश । अनावेदक अभिभाषक उपस्थित । पटवारी जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी हो, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	